

जम्मू-कश्मीर आरक्षण वधियक एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) वधियक 2023

प्रलिस के लयि:

जम्मू-कश्मीर आरक्षण वधियक एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) वधियक 2023, [लोकसभा](#), पाकसितान अधकृत कश्मीर (POK), [अनुच्छेद 370 का नरिसन](#), परसिमन ।

मेन्स के लयि:

जम्मू-कश्मीर आरक्षण वधियक एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) वधियक 2023 ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में [लोकसभा](#) ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण वधियक एवं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) वधियक, 2023 पारति कया है ।

- यह वधियक उन लोगो के प्रतनिधित्व से संबंधति है जनिका असत्तिव अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में है । साथ ही यह वधियक जम्मू-कश्मीर वधिनसभा में [पाकसितान अधकृत कश्मीर](#) से वसिथापति हुए लोगो के लयि एक सीट आरक्षति करता है ।

पृष्ठभूमि:

- [अनुच्छेद 370 के नरिसन](#) से पूर्व, जम्मू-कश्मीर में लोकसभा तथा वधिनसभा सीटो के परसिमन को लेकर अलग-अलग नयिम थे ।
- अनुच्छेद 370 के नरिसन और इस क्षेत्र को केंद्रशासति प्रदेश के रूप में बदले जाने के बाकार्च 2020 में एक [परसिमन आयोग](#) का गठन कया गया था ।
- इस आयोग का कार्य न केवल जम्मू-कश्मीर की सीटो, बल्कि असम, मणपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नगालैंड की सीटो का परसिमन करना था तथा इस कार्य के पूरण होने के लयि एक वर्ष की समयसीमा तय की गई थी ।
- हाल ही में इस आयोग द्वारा परसिमन प्रक्रया पूरी होने के परणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर की वधिनसभा सीटो की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई ।

ये दो वधियक क्या हैं?

- **जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) वधियक, 2023:**
 - इसकी मदद से जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधनियिम, 2004 की धारा 2 में संशोधन कया जाएगा ।
 - जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधनियिम, 2004 [अनुसूचति जाती \(SC\)](#), [अनुसूचति जनजाति \(ST\)](#) तथा अन्य सामाजकि एवं शैक्षणकि रूप से पछिड़े वर्ग के सदस्यो को नौकरयो और व्यावसायकि संस्थानो में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है ।
 - संशोधन वधियक के अनुसार व्यक्तयो के एक वर्ग जिन्हें पहले "कमज़ोर और वंचति वर्ग (सामाजकि जाती)" के रूप में जाना जाता था, को अब "अन्य पछिड़ा वर्ग" के रूप में वर्णति कया जा सकता है ।
- **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) वधियक, 2023:**
 - यह वधियक 2019 के अधनियिम में संशोधन करने तथा कश्मीरी प्रवासयो एवं PoK से वसिथापति व्यक्तयो को वधिनसभा में प्रतनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है ।
 - इसमें कश्मीरी प्रवासी समुदाय से दो सदस्यो को नामति करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य होगी तथा पाकसितान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से वसिथापति व्यक्तयो का प्रतनिधित्व करने वाले एक व्यक्तिको वधिनसभा में नामति करने की उपराज्यपाल की शक्ति होगी ।
 - इस वधियक में जम्मू-कश्मीर वधिनसभा में सीटो की कुल संख्या 107 से बढ़कर 114 करने का प्रस्ताव है, जनिमें से 7 अनुसूचति जातिके सदस्यो के लयि और 9 सीटें अनुसूचति जनजातिके वधियको के लयि आरक्षति होंगी ।

- वधियक के अनुसार, पाकसितान के कबजे वाले कश्मीर के लयिे वधियनसभा की 24 सीटें आरक्षति की गई हैं ।
- इसलिये वधियनसभा की संबद्ध प्रभावी शक्ति 83 है, जसि संशोधन द्वारा बढाकर 90 करने का प्रयास कयिा गया है ।

ज़ीरो टेरर प्लान अनुच्छेद 370 के नरिस्तीकरण से कैसे संबद्ध है?

- ज़ीरो टेरर प्लान जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को खतम करने के लयिे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक रणनीतिको संदरभति करता है । यह योजना पछिले तीन वर्षों से प्रभावी है और वर्ष 2026 तक पूर्ण कार्यान्वयन हेतु नरिधारति है ।
- जम्मू-कश्मीर को वशिष दरजा देने वाले अनुच्छेद 370 के नरिस्त होने के बाद से क्षेत्र में आतंकवाद में उल्लेखनीय गरिवट आई है ।

परसिीमन क्या है?

- नरिवाचन आयोग के अनुसार, परसिीमन कसिी देश या वधियी नकिय वाले प्रांत में क्षेत्रीय नरिवाचन क्षेत्रों (वधियनसभा या लोकसभा सीट) की सीमाओं को तय करने या फरि से तैयार करने का कार्य है ।
- परसिीमन की कवायद एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त पैनल द्वारा की जाती है जसि परसिीमन आयोग के नाम से जाना जाता है, जसिके आदेशों पर कानून का प्रभाव होता है और कसिी भी अदालत द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है ।
 - 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनियिों के आधार परचार बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परसिीमन आयोगों का गठन कयिा गया है ।
- कसिी नरिवाचन क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के आकार (पछिली जनगणना आधार) के आधार पर फरि से परभाषति करने की कवायद पछिले कई वर्षों से की जा रही है ।
- कसिी नरिवाचन क्षेत्र की सीमा बदलने के अलावा इस प्रक्रयिा के परणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है ।
- इस अभ्यास में संवधियन के अनुसार SC और ST के लयिे वधियनसभा सीटों का आरक्षण भी शामिल है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

प्रश्न. परसिीमन आयोग के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचियर कीजयिे: (2012)

1. परसिीमन आयोग के आदेशों को कसिी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
2. परसिीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य वधियनसभा के सममुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कयिा जा सकता ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन सा सबसे बड़ा (क्षेत्रफल के अनुसार) लोकसभा नरिवाचन क्षेत्र है? (2008)

- (a) काँगड़ा
- (b) लद्दाख
- (c) कच्छ
- (d) भीलवाड़ा

उत्तर: (b)

प्रश्न. सयिाचनि ग्लेशयिर स्थति है (2020)

- (a) अकसाई चनि के पूर्व में
- (b) लेह के पूर्व में
- (c) गलिगति के उत्तर में
- (d) नुबरा घाटी के उत्तर में

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिये नोट, "जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध", लगा हुआ है, कसि सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न. जम्मू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि-कार्यकर्त्ताओं (OGW) की भूमिका ध्यान का केंद्रति बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावति क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि-कार्यकर्त्ताओं द्वारा नभाई जा रही भूमिका का परकिषण कीजिये। भूमि-उपरि-कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को नषिप्रभावति करने के उपायों की चर्चा कीजिये। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/jammu-and-kashmir-reservation-bill-and-j-k-reorganisation-amendment-bill-2023>

